संख्या-153/2026/2192/22-2-2025-17(1170)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 11 मार्च, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी पिन्टू शुक्ला पुत्र श्री मुनीन्द्र नाथ शुक्ला, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-39639/प्रो0अनु0(2)-306/2025/(बैठक दिनांक 13.10.2025), दिनांक 16.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी पिन्टू शुक्ला पुत्र श्री मुनीन्द्र नाथ शुक्ला, बबना, थाना-नवाबगंज, जनपद-फर्रूखाबाद हाल पता-जिला कारागार आवासीय परिसर कॉलोनी कानपुर नगर, थाना-कोतवाली कानपुर नगर, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। दिनांक 16.03.2003 को कुत्ता व बकरी द्वारा गंदगी फैलाने को लेकर हुए विवाद के कारण अभियुक्त ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से पंकज पाण्डेय, पवन पाण्डेय व कीर्ता पाण्डेय (जो कि जेल में सिपाही है) नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 09/04 व 11/04 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 व 504 के अन्तर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-06, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 16.12.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 29.08.2018 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए धारा-302/149 को धारा-302/34 में परिवर्तित करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। दिनांक 05.10.2025 तक बंदी द्वारा अपरिहार 21 वर्ष, 11 माह, 18 दिन तथा सपरिहार 27 वर्ष, 04 माह की सजा भोगी गयी है। दिनांक 05.10.2025 तक बंदी की आयु 51 वर्ष 09 माह 09 दिन है।

पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहगढ़ द्वारा बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी नहीं होने, पुनः अपराध कर सकने, पुनः अपराध करने में सशक्त होने, दोनों पक्षों के मध्य पुरानी रंजिश विद्यमान होने, परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने की आख्या प्रेषित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 14.10.2022 द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अभिमत दिनांक 04.03.2024 द्वारा प्रेषित आख्या में अंकन किया गया है कि " वांछित पत्रालियां सत्र परीक्षण संख्या-09/2004, 10/2004 एवं 11/2004 मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद क्रिमिनल मिस0 रिट याचिका संख्या-18129/2004 के निस्तारण हेतु दिनांक 17.01.2006 न्यायालय द्वारा भेजी जा चुकी है, जो गोसवारे में अंकित है कि पत्रावलियों के अभाव में उक्त प्रकरण में न्यायालय का अभिमत देना संभव नहीं है। "

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सलाहकार समिति का अभिमत है कि प्रकरण का गहनता से परिशीलन करने पर पाया गया कि दिनांक 16.03.2003 को कुत्ता व बकरी द्वारा गंदगी फैलाने को लेकर हुए विवाद के कारण अभियुक्त ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से पंकज पाण्डेय, पवन पाण्डेय व कीर्ता पाण्डेय (जो कि जेल में सिपाही हैं) नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहगढ़ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी पिन्टू शुक्ला पुत्र श्री मुनीन्द्र नाथ शुक्ला को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी पिन्टू शुक्ला (बन्दी संख्या-628/16) पुत्र श्री मुनीन्द्र नाथ शुक्ला, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-153/2026/2192(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद/कानपुर नगर।
2- पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद।
3- पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- नोडल अधिकारी/ वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज को क्रिमि0 मिस रिट याचिका संख्या-16340/2025 पिन्टू शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2025 के अनुपालन में।
7- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in